अध्याय - 2

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में XIवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान 11,813 मे.वा.[17] की क्षमता को जोड़ने के लिए चारों सीपीएसईज़ द्वारा उनके संयुक्त उद्यमों सहित चुनी गई जल परियोजनाओं की शुरूआत से कार्यान्वयन तक के सभी क्रियाकलापों को शामिल किया गया है। इस प्रकार फ़ोकस अनिवार्यतः क्षमता संवर्धन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीपीएसईज़ द्वारा किए गए प्रयासों पर है।

लेखापरीक्षा द्वारा 2002-03 से 2007-08 की अवधि के लिए कार्य देने, उसके निष्पादन तथा मॉनीटरिंग को शामिल करते हुए "नीपको तथा एनएचपीसी द्वारा पूर्वोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में Xवीं योजना जल परियोजनाओं का कार्यान्वयन" नामक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 के प्रतिवेदन सं. पीए 27 में शामिल किया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित बातों का निर्धारण करना थाः

- क्या परियोजनाओं की अवधारणा, उन्हें बनाने तथा उनकी योजना की प्रक्रिया पर्याप्त, तथा भारत सरकार की जल नीति के अनुरूप थी;
- क्या प्रोसेस तथा पूरी की गई परियोजनाएं तथा ठेके पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा न्यायसंगत थे;
- क्या परियोजनाएं दक्षतापूर्वक तथा शीघ्र कार्यान्वित की गई थी, बिलम्ब के कारण और उनका प्रभाव; तथा
- क्या मॉनीटरिंग के लिए प्रणालियां तथा पद्धतियां सभी स्तरों पर पर्याप्त तथा प्रभावी थी।

2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए विभिन्न स्त्रोतों से लेखापरीक्षा मानदण्ड में निम्नलिखित बातें शामिल थीः

---

[17] *10,341 मे.वा. (एनएचपीसी), 412 मे.वा. (एसजेवीएनएल), 400 मे.वा. (टीएचडीसी) तथा 660 मे.वा. (नीपको)*

- भारत सरकार की राष्ट्रीय बिजली नीति (2005) तथा जल नीतियों (1998 तथा 2008) के प्रावधान,
- संबंधित सीपीएसईज़ की कारपोरेट योजनाओं के अनुसार लक्ष्य,
- निदेशक मंडल (बीओडी) तथा उनकी उप-समितियों की बैठकों में लिए गए निर्णय,
- व्यवहार्यता रिपोर्टों (एफआर्ज़)/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में परिकल्पित समय सीमा और लाभ,
- कार्य एवं अधिप्राप्ति नीतियां तथा पद्धतियां, तथा
- ठेका करारों के प्रावधान
- उद्योग द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएं

2.4 लेखापरीक्षा प्रणाली

सभी सीपीएसईज़ के प्रबंधनों के साथ एन्ट्री कान्फेंस[18] मार्च 2011 में की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, मानदण्ड तथा लेखापरीक्षा नमूने की चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा ने मार्च 2011 से अगस्त 2011 के दौरान एमओपी तथा सीपीएसईज़ में संबद्ध अभिलेखों की जांच की तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पहुंची जिनकी चर्चा आगामी अध्यायों में की गई है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर चर्चा के लिए सीपीएसईज़ के प्रबंधन तथा एमओपी के साथ 17 फरवरी 2012 को एग्ज़िट कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उनके उत्तर प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किए गए हैं।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना

उपर्युक्त सीपीएसईज़ के क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाएं मार्च 2012 तक पूरी की जानी थीं। इस प्रकार, 45 प्रतिशत का प्रतिनिधि नमूना, ठेका देने वाले क्रियाकलापों की जांच के लिए इंटरैक्टिव डाटा निष्कर्षण तथा विश्लेषण (आइडिया) का उपयोग करते हुए 2007-12 के दौरान क्षमता संवर्धन हेतु निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए सौंपे ठेकों की सूची में से लिया गया था।

मार्च 2012 तक पूरा होने की उम्मीद वाली सभी 16 परियोजनाएं जो इन सीपीएसईज़ द्वारा कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई थी, इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल की गई हैं। तथापि, ठेका देने वाले क्रियाकलापों की जांच के लिए इन चार सीपीएसईज़ की 15 परियोजनाओं[19] से संबंधित कुल 53 ठेकों से 24 ठेकों का एक प्रतिनिधि नमूना लिया गया था जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

---

[18] *4 मार्च 2011 (एनएचपीसी तथा टीएचडीसी), 7 मार्च 2011 (एसजेवीएनएल) तथा 15 मार्च 2011 (नीपको)*

[19] *इसमें नीपको की ट्यूरियल परियोजना शामिल नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा दिए गए ठेके मार्च 2008 तक पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किए गए थे तथा अप्रैल 2008 से कोई नया ठेका नहीं दिया गया था।*

सीपीएसई का नाम	जनसंख्या			चुना गया नमूना	
	ठेकों की सं.	मूल्य (₹ करोड़ में)	ठेका सौंपने की अवधि	ठेकों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
एनएचपीसी	41	12,942.65	मार्च 2001 से अगस्त 2011	16 (39.02%)	9,891.95 (76.43%)
एसजेवीएनएल	03	1447.95	फरवरी 2007 से अगस्त 2011	03 (100%)	1447.95 (100%)
टीएचडीसी	06	684.02	नवम्बर 2002 से अगस्त 2011	03 (50%)	389.40 (56.30%)
नीपको	3	151.07	जून 2008 से दिसम्बर 2009	2 (66.67%)	119.67 (79.21%)
जोड़	**53**	**15225.69**		**24 (45%)**	**11,848.97 (78%)**

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस प्रतिवेदन में हमारी लेखापरीक्षा जांच के निष्कर्ष और सिफारिशें निम्नलिखित सात अध्यायों में दी गई हैं:

अध्याय III: जल विद्युत परियोजनाओं की शुरूआत और आबंटन के लिए ढांचा

अध्याय IV: सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच एवं निवेश अनुमोदन

अध्याय V: ठेका प्रदान करने की प्रणाली

अध्याय VI: परियोजनाओं का निष्पादन

अध्याय VII: मानीटरिंग तंत्र तथा प्रभाव मूल्यांकन

अध्याय VIII: निष्कर्ष और सिफारिशें

2.7 आभार

लेखापरीक्षा इस निष्पादन लेखापरीक्षा को सुकर बनाने में सीपीएसईज़ के प्रबंधन तथा एमओपी द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।